करतारा राम बनाम कृष्णराम व अन्य
प्रकरण संख्या 2022/050

24.03.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि– वादी ने दावा में वाद हेतुक की काई तारीख दर्ज नहीं की, कि किस तारीख को वादी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ, वादी ने बिना वाद हेतुक के दावा माननीय न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए पेश किया है। वादी ने धारा 92 आरटीए के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि धारा 92 आरटीए में स्थाई निषेधाज्ञा का कोई प्रावधान ही नहीं है। वादी ने अपने दावा में किला वाईज रकबा दर्ज करने का अनुतोष चाहा है जबकि धारा 53 आरटीए एक्ट के तहत दावा ही पेश नहीं किया, बिना धारा 53 आरटीए एक्ट के वादी के नाम किलावाईज रकबा दर्ज नहीं किया जा सकता। वादी ने जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के आधार पर माननीय न्यायालय में दावा पेश किया है, उपरोक्त जमाबन्दी में 18 सह–खातेदार है मगर वादी ने केवलमात्र 4 सह–खातेदारों को पक्षकार बनाकर झूठे व मनगढत तथ्यों के आधार पर केवलमात्र गलत उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए दावा पेश किया है जबकि कानूनन संयुक्त खाते के सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाना आवश्यक है, इन हालात में वादी का दावा पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर मय खर्चा खारिज करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस में कथन किए गए कि– प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद पत्र में वाद कारण का उल्लेख नहीं किया गया है तथा दावा बंटवारे का है और सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी का दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जो कि अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए व 209 आरटीए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। वादी ने वाद की चरण संख्या 05 के अन्तर्गत एक सप्ताह पूर्व वाद कारण प्राप्त होने का उल्लेख किया है जो स्पष्ट करता है कि वाद हेतुक अंकित किया गया है। वादी का दावा केवल बंटवारे का नहीं है जबकि घरू बंटवारे में कब्जा में आयी कृषि भूमि का घोषणात्मक दावा है। इस कारण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र वाद की प्रक्रिया को लम्बा करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो कि हर्जाना से निरस्तनीय है। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2021(2) RRT 1247 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Girraj & Ors. vs Mahadev Prasad & Ors., 2021(2) RRT 1331 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Bhuraram vs Santosh. प्रस्तुत किये। अतः निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. का [illegible] है जिसमें वाद में अभिलिखित कथनों के सही होने की अवधारणा की [illegible] है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है एसो कने में असफल रहता है।

(घ) जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार वाद हेतुक नहीं होने की स्थिति में या वाद विधि द्वारा वर्जित होने की स्थिति में ही इन प्रावधानों के तहत वाद खारिज किया जा सकता है। हस्तगत वाद 88, 188, 92ए, 209 आरटीए एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी द्वारा घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है एवं वाद कारण उत्पन्न होने का उल्लेख भी किया गया है। अतः अधिवक्ता अप्राथी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते है। मूल वाद का निस्तारण बाद कायम तनकीयात जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर होना है। इस स्तर पर वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब वाद पत्र हेतु दिनांक 17.04.2025 को पेश हो।

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested